रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 2019/भाद्र 25, 1941
No. 535] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 2019/BHADRA 25, 1941

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर , 2019

**सा.का.नि. 658(अ).—**राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 के प्रारूप नियमों का और संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 281(अ) तारीख 3 अप्रैल, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 3 अप्रैल, 2019 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (क), (घ), (छ), (ज) और (ड) से (ब) के साथ पठित उपधारा (1) और साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजमार्ग प्रशासन (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2.** राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**3. राजमार्ग प्रशासनों द्वारा शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन—**(1) राजमार्ग प्रशासन अधिनियम के उपबंधों और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों या परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, वह :--

(क) अधिनियम के उपबंधों से संगत राजमार्ग प्रशासन के लिए नीतियों और कार्यान्वयन ढांचा अधिकथित करेगा ;

(ख) अधिनियम के अध्याय V के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभिन्न प्रकार के यातायात विनियमों के लिए साधारण आदेश जारी करेगा ;

(ग) विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजमार्ग प्रशासन के बीच कृत्य और उत्तरदायित्वों के आबंटन को विनिश्चित करेगा ;

(घ) विभिन्न सेवाओं के परिदान और अधिनियम तथा समय-समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध के प्रवर्तन के संबंध में कार्यकारी आदेश/मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसपीओएस) जारी करेगा;

(ङ) विभिन्न स्तरों पर राजमार्ग प्रशासन के किए जा रहे कृत्यों का आवधिक पुनर्विलोकन और मानीटर करेगा ;

(च) अधिनियम और उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन समनुदेशित कोई अन्य कृत्य और उत्तरदायित्व करेगा ।

(2) राजमार्ग प्रशासन, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उपबंधों के अध्यधीन :

क) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राजमार्ग प्रशासन के समग्र अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन होगा ;

ख) सेवाओं के परिदान के संबंध में भिन्न-भिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन के कार्यकरण का आवधिक पुनर्विलोकन करेगा और राजमार्ग प्रशासन द्वारा जारी सभी मानक प्रचालन प्रक्रियाओं तथा कार्यकारी अनुदेशों का प्रवर्तन सुनिश्चित करेगा ।

ग) विभिन्न सेवाओं के परिदान और अधिनियम तथा समय-समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध के प्रवर्तन के संबंध में कार्यकारी आदेश/मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसपीओएस) जारी करेगा;

घ) अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभिन्न प्रकार के यातायात विनियमों के लिए विनिर्दिष्ट आदेश जारी करेगा ;

ङ) अधिनियम और उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन समनुदेशित कोई अन्य कृत्य और उत्तरदायित्व करेगा ।"

**3.** मूल नियम के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**10. पट्टा या अनुज्ञप्ति मंजूरी करने के लिए किराया या अन्य भार—**(1) राजमार्ग का पट्टा या अनुज्ञप्ति राजमार्ग प्रशासन को ऐसे व्यक्ति द्वारा किराए के संदाय पर अनुदत्त किया जाएगा, जिसको यथास्थिति, पट्टा या अनुज्ञप्ति केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर प्रदान किया जाता है ।

(2) जहां राजमार्ग भूमि का पट्टा नवीकृत किया जाता है वहां भूमि का प्रत्येक नवीकरण केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर किराए के संदाय पर किया जाएगा ।"

**4.** मूल नियम के नियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**23. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन फीस और अन्य भार—**(1) राजमार्ग प्रशासन ऐसे व्यक्तियों पर फीस अधिरोपित करेगा, जिनको अनुज्ञा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दर पर अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन प्रदान की जाती है।

(2) जहां अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा नवीकृत की जाती है वहां ऐसे प्रत्येक नवीकरण केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर फीस केसंदाय पर किया जाएगा।"

[फा.सं. एनएच-11011/33/2019-एलए]

अमित कुमार घोष, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 700(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2171(अ) तारीख 24 दिसंबर, 2007 और सा.का.नि. 634(अ) तारीख 28 जून, 2016 किए गए थे।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2019

**G.S.R. 658(E).—**Whereas the draft rules further to amend the Highways Administration Rules, 2004 were published as required by sub-section (1) of section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 281(E), dated the 3rd April, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 3rd April, 2019;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a), (d), (g), (h), (i) and (m) to (w) of sub-section (2) of section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), and section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Highways Administration Rules, 2004, namely:-

1. **Short title, and commencement**. - (1) These rules may be called the Highway Administration (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Highway Administration Rules, 2004, (herein after referred to as principal rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"**3. Powers and functions by Highway Administrations**.- (1) Subject to the provisions of the Act and the conditions or limitations imposed by the Central Government under the proviso to sub-section (1) of section 3 of the Act, to the Highway Administration, it shall:

(a) lay down policies and implementation framework for the Highway Administration consistent with the provisions of the Act;

(b) issue general orders for regulation of different types of traffic on National Highways under Chapter V of the Act;

(c) decide on the allocation of functions and responsibilities among different Highway Administration at different levels;

(d) issue executive orders/ Standard Operating Procedures (SOPs) in respect of delivery of various services and enforcement of provisions of the Act and the rules and regulations from time to time;

(e) undertake periodical review and monitor the functioning of Highway Administration at different levels;

(f) any other functions and responsibilities assigned under the Act and the rules thereunder.

(2) Subject to the provisions under sub-section (2) of section 3 of the Act, the Highway Administration, shall:

a) be subject to the overall superintendence and control of the Highway Administration established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

b) undertake periodic review of the functioning of the Highway Administration at different levels in respect of delivery of services and ensure enforcement of all the Standard Operating Procedures and executive instructions issued by the Highway Administration.

c) issue executive orders/ Standard Operating Procedures (SOPs) in respect of delivery of various services and enforcement of provisions of the Act and the rules and regulations from time to time;

d) issue specific orders for regulation of different classes of traffic on National Highways under Chapter V of the Act;

e) any other functions and responsibilities assigned under the Act and the rules thereunder."

3. In the principal rules for rule 10, the following rule shall be substituted, namely: -

"**10. Rent or other charges for granting lease or licence.-** (1) The lease or licence of Highway land shall be granted on payment of rent to the Highway Administration by the person to whom the lease or licence, as the case may be, is given at the rates specified by the Central Government from time to time.

(2) Where the lease of highway land is renewed, each renewal of the lease shall be made on payment of rent at the rates specified by the Central Government from time to time."

4. In the principal rules for rule 23, the following rule shall be substituted, namely: -

"**23. Fees and other charges under sub-section (3) of section 38 of the Act.–** (1) The Highway Administration shall impose fee on the persons to whom the permission is given under sub-section (3) of section 38 of the Act at the rate specified by the Central Government from time to time.

(2) Where the permission given under sub-section (3) of section 38 of the Act is renewed, each such renewal shall be made on payment of fee at the rate specified by the Central Government from time to time."

[F. No. NH-11011/33/2019-LA]

AMIT KUMAR GHOSH, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 700(E), dated the 20th October, 2004, subsequently amended vide S.O. 2171(E), dated the 24th December, 2007, and vide G.S.R. 634(E), dated the 28th June, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.16 22:56:46 +05'30'